

पंचम् विकास पत्रिका

विकास और स्वशासन पर संवाद हेतु समर्थन द्वारा प्रकाशित

वर्ष : 02

अंक : 11

दिसम्बर 2022

परस्पर संपर्क हेतु

शादियों में फिर वही फिजूल खर्ची

विनोद चौधरी द्वारा

विगत ढाई-तीन साल में हम सब ने कोविड-19 महामारी का बहुत करीब से अनुभव किया। देश में शायद ही कोई परिवार होगा, जिसने किसी न किसी रूप में इस महामारी के कारण नुकसान न उठाया हो। किसी ने अपने सगे संबंधियों को खोया तो किसी का व्यवसाय चौपट हो गया, किसी की नौकरी चली गई। घर के अन्दर कैदियों सा जीवन जीने से कोई भी नहीं बचा।

महामारी की अति तीव्रता वाले दोनों दौर उस समय आए, जब देश में बड़ी संख्या में शादी, विवाह होते हैं। लेकिन महामारी के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा लगायी गई पाबंदियों की वजह से कई शादियां आने वाले समय के लिए टाल दी गईं। जब संक्रमण कुछ नियंत्रण में आया तो सरकार ने कुछ शर्तों के साथ शादियां सम्पन्न कराने की इजाजत दे दी। इस दौरान कई शादियां सम्पन्न भी हुईं। सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों में सीमित संख्या में मेहमानों को बुलाना, बेन्ड बाजे और डी.जे. आदि के इस्तेमाल पर रोक, आतिशबाजी पर रोक, सड़कों पर नाच-गाना करने से रोक, शादी समारोह में सामाजिक दूरी का पालन, रात को तय समय तक शादी समारोह सम्पन्न करना जैसी अनेक बांदिशें शामिल थीं। इस बीच जो भी शादियां हुईं बहुत सादगी से सम्पन्न हुईं। ऐसा लग रहा था हम किसी और युग में पहुंच गए हों। सामान्य दिनों



की तरह रोडों पर दूल्हों के आगे नाचते बारातियों के कारण न तो कहीं जाम लगा दिखा, न ही प्रीतिभोज में लंगर जैसा दृश्य।

इस दौरान हुई शादियों में वर एवं वधु दोनों पक्ष का काफी पैसा बचा। क्योंकि शादियों में दिखावे के लिए

फिजूल खर्ची के लिए कोई स्थान नहीं था। सामान्य दिनों की तरह मेंहेगे बेन्ड, डी.जे., मेंहेगी आतिशबाजी, हजारों की संख्या में मेहमानों की भीड़, मेहमानों के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन कहीं दिखायी नहीं दिए। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो शादी समारोह में

खूब पैसा खर्च करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम न होने पर भी दिखावे के लिए जमीन, जायदाद बेचकर, रकम गिरवी रखकर या उधार लेकर शादी समारोह में की जाने वाली फिजूल खर्ची को कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता। महामारी के दौरान

सम्पन्न हुई शादियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि लोग फिजूल खर्ची वाली बात लोगों को अच्छे से समझ आ गई है और आने वाले समय में भी फिजूल खर्ची पर लगाम लगी रहेगी। लोग इसी प्रकार सादगी से शादी समारोह सम्पन्न करने के लिए आगे आएंगे। लेकिन जैसे-जैसे कोविड की पाबंदियां हटती गईं, सभी चीजें पहले की तरह होने लगीं। फिर से दिखावे वाली मेंहेगी, शादियां होने लगीं।

एक मध्यम वर्गी परिवार के शादी समारोह में शुरू से लेकर आखिर तक वर और वधु दोनों पक्ष द्वारा दिखावे के लिए जितनी फिजूल खर्ची की जाती है, उसे बंद कर यदि हैसियत के अनुसार सादगी से शादियां सम्पन्न करायी जाए तो, लाखों रूपए बचाए जा सकते हैं। अगर इसका आंकलन किया जाए तो अलग-अलग श्रेणी के परिवार की शादियों में 5 से लेकर 10 लाख रूपए तक आसानी से बचाए जा सकते हैं। यदि दोनों पक्ष को पैसा खर्च करना ही है तो फिजूल खर्ची के बजाय इस पैसे को वर-वधु के नाम बैंक में सावधि जमा योजना में जमा करा सकते हैं, या आभूषण पर खर्च कर सकते हैं। यह पैसा वर-वधु अपनी नई गृहस्थी को शुरू करने में आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में आयोजित हो रहे शादी समारोहों को देखकर ऐसा लगता नहीं है। लोग अभी फिजूल खर्ची में एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा के मूढ में हैं।

पानी के मुद्दे पर जल संवाद कार्यक्रम

ज्ञानेन्द्र तिवारी एवं चाली राजा द्वारा

पन्ना जिले के 40 गांव में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के साथ मिलकर समर्थन संस्था द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मदद की जा रही है। जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी तारतम्य में समर्थन संस्था के तत्वाधान में पन्ना जिला मुख्यालय से लगभग 15 किमी दूर ग्राम पंचायत रक्सेहा में 3 दिसम्बर को जल संवाद का आयोजन किया गया। जिसमें वैश्विक स्तर पर जल एवं स्वच्छता पर काम कर रही डब्ल्यू.एच.एच. संस्था की प्रमुख इरेन गाड और सलाहकार बैन्जिमेन हैरिस ने भी भाग लिया, और अनुवाद के जरिए ग्रामीणों से संवाद करते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा



कि पानी हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है, पानी समाज की अनेक जरूरतों को पूरा कर विकास तय करता है। इस मौके पर जिला पंचायत पन्ना की अध्यक्ष श्रीमति मीना राजे ने कहा कि मैं खुद गांव से हूँ। इसलिए यह बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि गांव की महिलाओं को सबसे ज्यादा पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को हमें अपना संकल्प बनाना है। जब यह हमारा संकल्प बनेगा तभी हर घर नल से जल योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से हो सकेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया ने कहा कि अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति जब खुशहाल होगा तभी सही अर्थों

(शेष पेज 2 पर)

(पेज 1 का शेष)

में समृद्धि आयेगी। उन्होंने जल संरक्षण पर जोर दिया और कहा कि बारिश के समय गांव का पानी, गांव में रहे इसके लिए उपाय करने होंगे। जल संवाद कार्यक्रम को जिला पंचायत उपाध्यक्ष संतोष सिंह यादव, जनपद सीईओ श्री पी.एल. पटेल, पुष्पराज सिंह, कृषक दयाराम सिंह, अंजु सिंह ग्राम रहुनिया, रामशिरोमणि सरपंच ग्राम पंचायत दिया तथा राहुल निगम ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन समर्थन संस्था के ज्ञानेन्द्र तिवारी ने किया जबकि आभार प्रदर्शन रक्सेहा सरपंच शेफाली दास ने किया। जल जीवन मिशन के तहत चलाए जा रहे इस कार्यक्रम को हर घर जल का नाम दिया गया है। इसके तहत प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर स्वच्छ एवं सुरक्षित जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 3.6 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना को वर्ष



2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना पूरे देश में तेजी से लागू की जा रही है।

संवाद कार्यक्रम से निकले प्रमुख बिन्दु

- नल जल योजनाओं के सतत

संचालन के लिए सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं, जन प्रतिनिधि और समुदाय को एक जुट होकर

कार्य करना होगा।

- प्रति परिवार लिया जाने वाला मासिक जलकर, नल जल योजना की रीड की हड्डी है। जरूरी है कि लोग हर माह मासिक जल कर जमा कराएं ताकि राशि के अभाव में जल आपूर्ति बाधित न हो।
- वर्षा जल को अधिक से अधिक भूमि के अन्दर पहुंचाने, संग्रहित करने के लिय व्यापक रूप से काम करने करने की आवश्यकता है।
- सभी को पानी के जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग और पानी के दुरुपयोग को रोकने के उपाय अपनाने होंगे।
- नल जल योजनाओं के माध्यम से हर घर में पानी की सतत उपलब्धता से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा।

जानकारी

आइये जानें पेसा कानून के बारे में

विनोद चौधरी द्वारा

पंचम विकास पत्रिका के पिछले अंक में पेसा क्षेत्रों में टोला/फलियों में नई ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया, ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता, कोरम, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की प्रक्रिया और ग्राम सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रकाशित की गई थी। इस अंक में पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की शक्तियां एवं कर्तव्यों की जानकारी प्रकाशित की जा रही है।

ग्राम सभा की शक्तियां एवं कृत्य –

पेसा क्षेत्र में, ग्राम सभा को मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 7 के अधीन प्रदान की गई शक्तियां एवं कृत्य के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां एवं कृत्य भी शामिल रहेंगे –

- व्यक्तियों की परम्परा और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संसाधनों को तथा विवादों के निराकरण की रूढ़िगत रीतियों को सुरक्षित तथा संरक्षित करना।
- ग्राम के भीतर स्थित प्राकृतिक संसाधनों को, जिनके अंतर्गत भूमि, जल तथा वन सम्मिलित है, परम्परा के अनुसार और संविधान के उपबंधों के अनुसार और उस समय लागू सुसंगत कारणों का सम्यक ध्यान रखते हुए, प्रबंधन करना।
- स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें अनुसूचित उपयोजनाएं सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिए स्रोतों और व्यय पर नियंत्रण रखना।
- ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कार्यों का निर्वाहन करना, जिसे कि राज्य सरकार उस समय लागू किसी कारण के



अधीन उसे सौंप जायें।

ग्राम पंचायत की शक्तियां एवं कृत्य

अनुसूचित क्षेत्रों में, ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा के की निगरानी, नियंत्रण तथा निर्देश के अधीन निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, जैसे –

- ग्राम के बाजारों तथा मेलों का, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएं, जिनमें पशु मेले भी शामिल हैं प्रबंध करना।

- ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वाहन करना, जैसा कि राज्य सरकार उस समय लागू किसी विधि के अधीन उसे प्रदान करे।

ग्राम पंचायत की एवं ग्राम सभा की शक्तियां

पंचायत निधि

पंचायत निधि मध्यप्रदेश पंचायत

राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 66 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार संचालित होगी।

- मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए पंचायत में निहित समस्त सम्पत्ति और पंचायत निधि का उपयोग, उक्त



अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या साधारणतः पंचायतों के विकास संबंधी क्रियाकलापों से संबंधित अन्य उद्देश्यों के लिए या ऐसे अन्य खर्चों की पूर्ति के लिए किया जाएगा, जो कि राज्य सरकार, किसी पंचायत के आवेदन पर या अन्यथा लोकहित में अनुमोदन करे। पंचायत निधि निकटतम शासकीय कोषालय या उप कोषालय या डाकघर या सरकारी बैंक या अधिसूचित बैंक या उसकी शाखा में रखी जाएगी।

- राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी सुनिश्चित कार्य या उद्देश्य के लिए पंचायत को आवंटित किसी रकम का उपयोग केवल उसी कार्य या उद्देश्य के लिए तथा उन निर्देशों के अनुसार किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए जायें।
- ग्राम पंचायत की समस्त रकमें सरपंच तथा सचिव के हस्ताक्षर से आहरित की जायेंगी। पंचायत निधि में समस्त प्राप्तियों तथा पंचायत निधि में से समस्त आहरण से संबंधित जानकारी ग्राम सभा के समक्ष आगामी बैठक में रखी जाएगी।
- पंचायत निधि से रकम के आहरण हेतु ग्राम पंचायत के सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित होना आवश्यक होगा।
- ग्राम पंचायत का बजट ग्राम सभा के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान पहली बैठक में प्रस्तुत (शेष पेज 3 पर)

(पेज 2 का शेष)

किया जाएगा व ग्राम सभा की सहमति प्राप्त होने पर या ग्राम सभा द्वारा प्राप्त अनुशंसा का समावेश करने के बाद ही बजट कार्यान्वित किया जाएगा। हर तीन माह में एक बार, प्रत्येक ग्राम की ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की पंचायत निधि के आय-व्यय का प्रमाणीकरण ग्राम सभा द्वारा कराना अनिवार्य होगा।

ग्राम सभा निधि

- प्रत्येक ग्राम सभा की "ग्राम सभा निधि" होगी। ग्राम सभा निधि मध्यप्रदेश ग्राम सभा (ग्राम निधि का संधारण) नियम, 2005 के नियम 3 के अधीन उल्लेखित निधि तथा संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा को आर्बिट्रिट निधियों से मिलकर बनेगी।
- प्रत्येक ग्राम सभा की "ग्राम सभा निधि" खाता निकटतम बैंक में खोला जाएगा। ग्राम सभा अपने सदस्यों में से 2 सदस्यों का चयन करेगी, जिसमें कम से कम 1 महिला होगी। इन सदस्यों में कोई भी सदस्य ग्राम पंचायत का सरपंच या उपसरपंच या पंच या उनके परिवार का सदस्य नहीं होगा। आहरण तथा संवितरण हेतु इस समिति के दोनों सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।
- ग्राम सभा निधि के अभिलेख संधारण की जिम्मेदारी सचिव की होगी।
- आहरण तथा संवितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी जाने पर उसकी संयुक्त जिम्मेदारी हस्ताक्षरकर्ताओं की होगी।
- ग्राम सभा निधि से रकम के आहरण हेतु ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव आवश्यक होगा।

शांति एवं सुरक्षा

- ग्राम सभा द्वारा ग्राम सभा के सदस्यों में से कम से कम 5 व अधिकतम 7 सदस्यों का चयन कर "शांति एवं विवाद समिति" का गठन किया जायेगा। इस समिति में ग्राम में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जावेगा तथा इस समिति में कम से कम एक तिहाई प्रतिनिधित्व महिलाओं को दिया जाना अनिवार्य होगा।
- ग्राम सभा के सचिव द्वारा "शांति एवं विवाद निवारण समिति" के गठन की जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन को प्रेषित की जावेगी।
- यह समिति पारम्परिक पद्धति से ग्राम के विवाद निवारण का कार्य करेगी तथा ग्राम में शांति बनाए रखने की दिशा में कार्य करेगी।
- इस समिति के निर्णय के विरुद्ध ग्राम सभा में अपील की जा सकेगी।
- प्रत्येक "शांति एवं विवाद



निवारण समिति" की बैठक की कार्यवाही का अभिलेख संधारण समिति के सचिव द्वारा किया जायेगा।

- स्थानीय पुलिस स्टेशन में ग्राम से संबंधित किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने पर "शांति एवं विवाद निवारण समिति" को सूचित कराया जाएगा।

ग्राम सभा के अधिकारों की सीमाएं

ग्राम सभा उसके अधिकारों का प्रयोग निम्नलिखित सीमाओं के अन्तर्गत ही करेगी -

- ग्राम सभा ऐसा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं करेगी जो कि उस समय लागू प्रचलित विधि के विरुद्ध हो।
- ग्राम सभा ऐसे किसी भी कृत्य का समर्थन नहीं करेगी जो क्षेत्र में निवास कर रही जनजातियों तथा अन्य स्थानीय समुदायों की रूढ़ियों एवं परम्पराओं को क्षति पहुंचाए।
- ग्राम सभा ऐसी किसी भी गतिविधि का समर्थन नहीं करेगी जो कि विविध सामाजिक समूहों के बीच द्वेष या शत्रुभाव को बढ़ावा देती हो या जिससे सामाजिक सौहार्द और भाईचारा कम होता हो।
- ग्राम सभा किसी भी शासकीय प्राधिकारी की विधि सम्मत गतिविधियों में किसी भी प्रकार से रोक या बाधा उत्पन्न नहीं करेगी।

भूमि प्रबंधन

ग्राम सभा द्वारा कृषि की योजना

ग्राम सभा किसान की आर्थिक स्थिति के अनुसार कृषि हेतु योजनाएं बनाने में



सक्षम होगी। ग्राम सभा के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख बिन्दु सम्मिलित हो सकेंगे -

- मिट्टी के कटाव की रोकथाम।
 - फसलों को बचाने हेतु चराई के नियम बनाना।
 - वर्षा जल का संग्रहण एवं वितरण जिसका उपयोग कृषि हेतु किया जा सके।
 - आपसी सहयोग से या अन्यथा, बीज खाद आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ ज्ञान साझा करना।
 - जैविक खाद, उर्वरक और कीटनाशकों को बढ़ावा देना।
 - कृषि विभाग, ग्राम सभा द्वारा तैयार की गई कृषि की योजना का नियमानुसार क्रियान्वयन करेगा।
- भू-अभिलेखों का संधारण**
- पटवारी एवं बीट गार्ड, विभाग के वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के प्रथम सप्ताह में वर्ष में एक बार ग्राम सभा को ग्राम की सीमा के भीतर आने वाले अद्यतन राजस्व और वन अभिलेख अर्थात् नक्शा, खसरा, बी-1 आदि उपलब्ध करवायेंगे।
 - पटवारी, ग्राम सभा से प्राप्त निजी भूमि/शासकीय भूमि के अभिलेखों में त्रुटि सुधार की अनुशंसा 15 दिन के भीतर सक्षम राजस्व अधिकारी को या बीट गार्ड को भेजेगा। सक्षम अधिकारी विधिक प्रावधानों के अनुसार तीन माह के भीतर त्रुटि सुधार के प्रकरणों का निराकरण करेगा और पटवारी के माध्यम से ग्राम सभा को सूचित करेगा।
 - शासकीय अथवा सामुदायिक भूमि के

उपयोग में परिवर्तन से पहले ग्राम सभा से परामर्श करना होगा। हस्तांतरण, पट्टा, अनुबंध कृषि, बिक्री, गिरवी अथवा अन्य किसी कारण से निजी भू-स्वामी के परिवर्तित होने की दशा में ग्राम सभा को पूर्व सूचना देना होगा।

- ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जनजाति की कोई भूमि शासकीय कार्यों के उपयोग, भू-अधिग्रहण, वैध उत्तराधिकार एवं अन्य विधिक प्रावधानों के विपरीत गैर-जनजाति व्यक्ति को हस्तांतरित न हो।
- ग्राम सभा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि की नीलामी की दशा में उक्त भूमि को अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को विक्रय करने की पहल करेगी।
- अनुसूचित जनजाति की ऐसी कोई भूमि जो उत्तराधिकार या अन्य विधिक कारणों के बिना गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अंतरित की गई हो तो ग्राम सभा ऐसी भूमि को अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अथवा उसके परिवार को वापस दिलाने हेतु पहल करेगी।
- यदि ग्राम सभा के मत में कोई भूमि जिस पर कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अधिकार है, को गैर-जनजाति व्यक्ति के पक्ष में अंतरण करने के प्रयास हो रहे हों तो ग्राम सभा ऐसी कार्यवाही को रोकने की पहल कर सकेगी।
- ग्राम सभा भूमि के बंधक रखने से संबंधित मामलों को उसके संज्ञान में आने पर सम्यक, प्रक्रिया के अधीन

बंधक से मुक्त कराने की कार्यवाही कर सकेगी।

भू-अर्जन के पूर्व परामर्श

- पेसा क्षेत्रों में भू-अर्जन के समस्त मामलों में मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 16 के अनुसार संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति प्राप्त की जाएगी।
- पेसा क्षेत्रों में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के अंतर्गत की जाने वाली भू-अर्जन की कार्यवाही में उक्त नियमों के नियम 6 के अनुसरण में सामाजिक प्रभाव निर्धारण के लिए जनसुनवाई के दौरान ग्राम सभाओं के साथ परामर्श किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा दिये गए परामर्श को संज्ञान में लेते हुए सामाजिक प्रभावों का निर्धारण किया जाएगा।

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए जनसुनवाई

प्रशासक, जो राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(8)/2014-सात-शा-2, दिनांक 29.09.2014 के अनुसार कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का हो, द्वारा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की योजना तैयार करने के लिए मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 13 के अनुसार जन सुनवाई सभी ग्राम सभाओं में जहां भूमि के अर्जन द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सदस्य निवास करते हो, संचालित की जाएगी।

कपट द्वारा अंतरित आदिम जनजाति की भूमि की वापसी

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 170-ख की उपधारा (2-क) के अनुसार यदि कोई ग्राम सभा अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में यह पाती है कि किसी आदिम जनजाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जनजाति के भूमिस्वामी की भूमि पर बिना किसी विधिपूर्ण अधिकार के कब्जे में है तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को वापस करेगी जिसकी वह भूमि मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिसों को वापिस करेगी। परन्तु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा वापस दिलाने में असफल रहती है, तो वह मामले को उपखंड अधिकारी के समक्ष रख सकेगी, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 170(ख) की उपधारा (2-क) के अनुसार ऐसी भूमि का कब्जा, निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर वापिस कराएगा। राज्य शासन द्वारा

(शेष पेज 4 पर)

(पेज 3 का शेष)

उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में ग्राम सभा द्वारा प्रेषित किये गये ऐसे प्रकरणों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

जल संसाधनों एवं लघु जलाशय की योजना और प्रबंधन

जल संसाधनों एवं लघु जल संरक्षक की योजना और प्रबंधन

- ऐसे जल संसाधन जो एक ग्राम सभा की सीमा के भीतर हो, उन जल संसाधनों या निकायों के विषय में ग्राम सभा का निर्णय सभी स्तर की पंचायतों के लिए बाध्यकारी होगा।
- ग्राम सभा के निर्णय सिंचाई, मत्स्य पालन, पेयजल आदि हेतु आबंटन व जल स्रोतों के स्थायित्व से संबंधित हो सकते हैं। ग्राम सभा, ग्राम में उपलब्ध पानी के उपयोग में पेयजल, निस्तार, सिंचाई को प्राथमिकता देगी।
- पेसा क्षेत्रों में मत्स्य पालन एवं पेयजल का प्रबंधन, 0 से 10 हेक्टेयर तक के लघु जलाशय के लिए ग्राम पंचायत, 10 से अधिक किन्तु 100 हेक्टेयर तक के लघु जलाशयों के लिए जनपद पंचायत तथा 100 से अधिक किन्तु 200 हेक्टेयर तक के लघु जलाशयों का प्रबंधन जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा।

सिंचाई प्रबंधन

- सिंचाई प्रबंधन के लिए 40 हेक्टेयर तक की सिंचाई क्षमता के प्रबंधन का अधिकार संबंधित स्तर की पंचायत को होगा।
- सिंचाई जल के उपयोग एवं वितरण पर नियंत्रण संबंधित स्तर की पंचायत के परामर्श से किया जाएगा।
- यदि सिंचाई प्रबंधन में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे ग्राम सभा की शांति एवं न्याय समिति के समक्ष रखा जाएगा। ग्राम सभा स्तर पर विवाद का सामाधान नहीं होने की स्थिति में प्रकरण को



कलेक्टर को प्रेषित किया जा सकेगा।

मत्स्य पालन

- ग्राम सभा उसके नियंत्रण के क्षेत्र में शासकीय/सामुदायिक लघु जल निकायों में मत्स्य पालन का नियंत्रण/नियम बनाने के लिए सक्षम होगी।
- स्थानीय परम्पराओं के अनुसार मछलियों की उपलब्धता व प्रजातियों की विविधता को बनाये रखने के लिए ग्राम सभा मत्स्य आखेट पर नियंत्रण कर सकेगी।
- ग्रामीणों के पोषण स्तर को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा मत्स्य उपयोग एवं विक्रय हेतु प्राथमिकता निश्चित कर सकेगी।

जल संसाधनों में प्रदूषण

ग्राम सभा शासकीय, सामुदायिक अथवा निजी जल निकायों में किसी भी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए निर्देश जारी कर सकेगी।

खान और खनिज

गौण खनिज

- मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 18 के अंतर्गत अनुसूची-एक एवं अनुसूची-दो में सूचीबद्ध किए गए गौण खनिजों के लिए पेसा क्षेत्रों में खनिज क्षेत्र

के प्रारंभिक चयन उपरांत, उत्खनन पट्टा आबंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पहले, ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 18-क, के अंतर्गत अनुसूची-पांच में सूचीबद्ध गौण खनिजों के लिए पेसा क्षेत्रों में खनिज क्षेत्र के प्रारंभिक चयन उपरांत, उत्खनन पट्टा आबंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पहले, ग्राम सभा की

अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 41-क, के अंतर्गत अनुसूची-पांच में सूचीबद्ध गौण खनिजों के लिए पेसा क्षेत्रों में नीलामी द्वारा गौण खनिजों के उपयोग के लिए, खनिज क्षेत्र के प्रारंभिक चयन उपरांत रियायत आबंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पहले, ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।



त्रिस्तरीय पंचायतों में सामग्री तथा माल क्रय हेतु नियम

विनोद चौधरी द्वारा

त्रिस्तरीय पंचायतों में समय-समय पर जरूरी सामग्री तथा माल की खरीदी की जाती है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्राप्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश पंचायत (सामग्री तथा माल का क्रय) नियम, 1999 बनाया गया है। लेकिन कई बार इस नियम की जानकारी नहीं होने के कारण, पंचायतें खरीदी तो कर लेती हैं, लेकिन इसके बिल, बाउचर जमा करने के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए, पंचम विकास पत्रिका के इस अंक में नियम की पूर्ण जानकारी प्रकाशित की जा

रही है। आशा है कि यह जानकारी समस्त पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के लिए उपयोगी होगी। तो आइये जानते हैं, इस नियम के बारे में -

सामग्री तथा माल का क्रय

- पंचायतें किसी भी निर्माण कार्य में उपयोग आने वाली सामग्री तथा माल को छोड़कर 500 रुपये तक की अन्य सामग्री तथा माल बिना निविदा बुलाए खरीदी कर सकती हैं।
- 500 रुपये से अधिक किन्तु 15000 से कम लागत की सामग्री तथा माल का क्रय कम से कम तीन व्यापारियों से कोटेशन आमंत्रित कर प्रतियोगी दरों पर किया जा सकेगा।
- 15000 रुपये से अधिक लागत की सामग्री तथा माल क्रय करने के लिए

पंचायत निविदाएं आमंत्रित करेगी। प्राप्त की गई निविदाएं सरपंच तथा सचिव द्वारा सारणीबद्ध कर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष रखी जाएंगी।

- सरपंच, प्राप्त निविदाओं को समीक्षा तथा अनुमोदन के लिए सामान्य प्रशासन समिति के समक्ष रखेगा तथा उसकी मंजूरी प्राप्त करेगा।
- जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अधिकारियों की समिति द्वारा निविदा की दरों की समीक्षा कराएगा। लेखा शाखा का प्रभारी अधिकारी अनिवार्यतः इस समिति में सम्मिलित होगा।
- समिति की सिफारिश प्राप्त होने पर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने तथा समिति के मत के साथ सामान्य प्रशासन समिति या किसी ऐसी समिति, जो सामग्री क्रय का पर्यवेक्षण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तय की जाए, के समक्ष उसके निर्णय के लिए रखेगा या रखवाएगा।

- सामान्य प्रशासन समिति या ऐसी अन्य समिति, जो राज्य सरकार द्वारा तय की जाए, उस विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी से तकनीकी परामर्श के पश्चात मशीनों तथा उपकरणों, जैसे रोड रोलर, ट्रैक्टर, एक्सरे मशीन, ड्रिलिंग मशीन आदि क्रय करने की मंजूरी देगी।
- न्यूनतम निविदा स्वीकार की जावेगी - साधारणतः न्यूनतम

निविदा स्वीकृत की जायेगी। यदि विधिमान्य कारणों से न्यूनतम निविदा स्वीकार करना संभव न हो, इन कारणों के लिखित दस्तावेज रखे जाएंगे तथा आडिट उपयोग के लिए उपलब्ध कराये जाएंगे।

निविदाकारों से अग्रिम जमा कराना - प्रदाय की जाने वाली सामग्री के अनुमानित मूल्य का दो प्रतिशत, अग्रिम राशि के रूप में जमा कराया जाएगा। अग्रिम राशि नगद या संबंधित पंचायत के पक्ष में देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करायी जाएगी।

उच्चतर निविदा का स्वीकार किया जाना - जहां न्यूनतम निविदा अस्वीकार कर दी जाये तो (शेष पेज 5 पर)

(पेज 4 का शेष)

जब तक उस न्यूनतम निविदा को अस्वीकार करने के पर्याप्त कारण लिपिबद्ध न किये जायें, तब तक ऊंची दर की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

- दरें - कोई भी निविदा किसी भी मामले में उस निविदा में तय दरों से भिन्न अन्य दरों पर स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदाओं का निपटारा करने में अनावश्यक विलंब नहीं किया जायेगा - निविदा खोले जाने के पश्चात् उसके निपटारे में अपरिहार्य विलम्ब नहीं लगाया जायेगा।

निविदाएं आमंत्रित करने की रीति -

निविदाएं सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जायेंगी। निविदायें ग्राम पंचायत के मामले में सरपंच द्वारा तथा जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा -

- पंचायत कार्यालय में सूचना पटल पर तथा अन्य ऐसे स्थानों पर जिन्हें उचित समझा जाये, हिन्दी में एक सूचना लगाकर;
- जहां पूर्वानुमानित लागत रूपये 25,000/- से अधिक हो वहां जिले में प्रचलित कम से कम एक दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन द्वारा ;
- जहां पूर्वानुमानित लागत रूपये 50,000 से अधिक हो तो राज्य में प्रचलित कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा आमंत्रित की जाएंगी।

7.2 उपनियम (1) के अंतर्गत प्रकाशित प्रत्येक सूचना या विज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों का विवरण दिया जाएगा ;

- वह प्रारूप जिसमें निविदा प्रस्तुत की जाएगी, क्या वस्तुओं के मूल्य अलग-अलग दिए जाने हैं, क्या प्रत्येक वस्तु या वस्तुओं के



समूह का तुलनात्मक मूल्य का परीक्षण निविदा में किया जाएगा;

- निविदाएं प्रस्तुत करने के समय और पंचायत कार्यालय में सूचना प्रकाशित किये जाने की तारीख से या समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रथम बार प्रकाशित होने की तारीख के बीच कम से कम दस दिन का अंतर रखा जाएगा।
- निविदाएं खोले जाने का समय तथा स्थान;
- निविदा के साथ जमा की जाने वाली अग्रिम राशि और वह राशि तथा उसका स्वरूप जो निविदा स्वीकार कर ली जाने की दशा में देय होगी। अग्रिम राशि, सामग्री या माल के मूल्य के 8 प्रतिशत से कम नहीं होगी;
- निविदा स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी;
- निविदाओं को स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, कोई भी कारण बताए बिना किसी भी या समस्त निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है; और

- ऐसा निविदाकार, जिसकी निविदा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार करने का निर्णय लिया गया हो यदि विधिमन्य कारण बताए बिना अपनी स्वीकृत निविदा वापस लेगा, तो निविदा अस्वीकार किये जाने के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा तथा पुनः निविदा बुलाने में पंचायत को यदि किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो वह उसकी भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा। हानि की रकम भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली जावेगी।

निविदा का पुनः मंगाना

यदि सफल निविदाकार माल अथवा सामग्री का तय समय-सीमा में प्रदाय करने में युक्तियुक्त कारणों के बिना असफल रहता है तो ऐसी निविदा निरस्त कर दी जाएगी तथा इन नियमों के अधीन उपबंधित रीति में उस व्यक्ति के जोखिम पर, जिसकी निविदा पूर्व में स्वीकृत की गई थी, नई निविदा मंगाई जाएगी। यदि पुनः निविदा मंगाने से पंचायत को कोई हानि होती है तो ऐसी हानि तथा निविदा मंगाने में हुए व्यय

की पूर्ति के लिए ऐसा व्यक्ति उत्तरदायी होगा। जमानत की रकम से समायोजन के पश्चात् यदि कोई शेष हो तो यह रकम भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली जाएगी।

अग्रिम जमा तथा प्रतिभूति राशि की वापसी -

- असफल निविदाकारों द्वारा जमा अग्रिम राशि निविदा स्वीकृति के पश्चात् तत्काल वापिस की जाएगी।
- सफल निविदाकार की अग्रिम राशि तथा जमानत की रकम यथा समय पर नमूना अनुसार सामग्री प्रदाय करने के पश्चात् वापस की जा सकेगी।

क्रय जिसके लिये ये नियम लागू नहीं होंगे

- इन नियमों की कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी -
- भारतीय भण्डार निगम के माध्यम से क्रय की गई वस्तुओं पर;
- राज्य सरकार के निगम, बोर्ड या उपक्रम के माध्यम से क्रय की गई वस्तुओं पर;
- केन्द्र या मध्यप्रदेश राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकृत

संस्थान के माध्यम से क्रय की गई वस्तुओं पर;

- राज्य में रजिस्ट्रीकृत उत्पादक, उपभोक्ता, सहकारी संस्था, जिनके प्रदाय के लिए संस्था प्राधिकृत है, के माध्यम से क्रय की गई वस्तुओं पर;
- वितरण तथा प्रदाय के लिए स्थापित फर्मों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं से तत्समय प्रचलित दरों पर क्रय किए गए ईंधन पर;
- जेल में निर्मित की गई वस्तुओं के क्रय पर;
- चिकित्सकीय भण्डार विभाग से क्रय की गई औषधियों पर;
- जनपद पंचायत या जिला पंचायत या जिला विपणन तथा प्रदाय अभिकरणों द्वारा प्रारम्भ की गई तथा उनकी विनिर्माण इकाईयों से क्रय की गई वस्तुओं पर;
- ऐसी अन्य संस्थाएं, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, से क्रय की गई वस्तुओं पर।
- अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् क्रय - ऐसी सामग्री, जो राज्य सरकार के भंडार क्रय नियम के अधीन, कृषि उद्योग विकास निगम, लघु उद्योग निगम, खादी ग्रामोद्योग, चर्म विकास निगम, हस्तशिल्प विकास निगम आदि के माध्यम से क्रय की जाना अपेक्षित है उनसे अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही इन नियमों में कथित प्रक्रिया का पालन करते हुए खुले बाजार से क्रय की जाएगी।
- सामग्री की प्राप्ति - माल तथा सामग्री प्राप्त होने पर उसकी समुचित रूप से, यथास्थिति, जांच की जाएगी, गिना, मापा या तौला जाएगा और प्राप्तकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं का समाधान कर ले कि प्रदाय की गई सामग्री नमूने के अनुसार सही मानक तथा गुणवत्ता की है।

पंचायत और विकास समाचार

कपिल धारा कूप संबंधी दिशा - निर्देश

विनोद चौधरी द्वारा

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की कपिलधारा उपयोजना सीमान्त एवं छोटे किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह उपयोजना किसानों को अपनी खेती में सिंचाई हेतु कूप निर्माण कराने में आर्थिक मदद करती है, ताकि फसलों की पैदावार में वृद्धि कर किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद राज्य कार्यालय भोपाल द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर को एक पत्र जारी कर भौतिक रूप से पूर्ण कपिलधारा कूप एवं नवीन कूप निर्माण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार

- जिन ग्राम पंचायतों में विगत वर्षों

के कोई कपिलधारा कूप अपूर्ण नहीं हैं, ऐसी ग्राम पंचायतों में मांग होने पर 5 कूप निर्माण की स्वीकृति हेतु योग्य कार्यवाही की जा सकेगी।

- बैगा, भारिया, सहारिया एवं वन भूमि (वन अधिकार कानून) के पट्टा धारकों के लिए कृषि भूमि की सीमा का बंधन नहीं होगा। जिन ग्राम पंचायतों में 2.5 एकड़ भूमि के समस्त कृषकों की अर्शिचित भूमि पर कूप निर्माण का लाभ दिया जा चुका है, ऐसी ग्राम पंचायतों को इस आशय का प्रमाण पत्र जारी कर 2.5 एकड़

से 5 एकड़ तक के किसानों को लाभ देने के लिए अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की लिखित अनुमति लेनी होगी।

- यदि किसी राजस्व ग्राम के कुल कृषि भूमिधारक किसानों की संख्या में से 75 प्रतिशत किसान लघु सीमान्त कृषक हैं, तो इन ग्राम पंचायतों में एक वित्तीय वर्ष में 10 नवीन कपिलधारा कूप स्वीकृत किये जा सकेंगे। इस हेतु वार्षिक मास्टर सर्कुलर 2021-22 (मनरेगा 2005) में

निर्धारित की गई प्राथमिकता क्रम का पालन किया जावेगा।

परिषद के संज्ञान में आया है कि, नवीन कूप स्वीकृत नहीं हो पाने का एक कारण यह भी है, कि ग्राम पंचायत में पुराने कूपों का निर्माण भौतिक रूप से पूर्ण है, परन्तु सामग्री मद में REAT Module में भुगतान लंबित होने के कारण कार्य अपूर्ण कार्यों की श्रेणी में प्रदर्शित हैं। इन कार्यों में भुगतान पूर्ण होने के पश्चात् ही ऑनलाइन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी हो सकेगा। अतः ऐसे प्रकरणों में भौतिक पूर्णता के आधार पर नवीन कपिलधारा कूप स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावे।

मनरेगा योजना में सामग्री मद में राज्यों को जारी करने हेतु भारत सरकार द्वारा REAT Module, 1 जनवरी 2022 से लागू किया गया है। परिषद के

संज्ञान में आया है, कि नवीन कपिलधारा कूप स्वीकृत न हो पाने का एक कारण यह भी है, कि ग्राम पंचायत में पुराने कूपों का निर्माण भौतिक रूप से पूर्ण है, परन्तु सामग्री मद में REAT Module में भुगतान लंबित होने के कारण कार्य अपूर्ण कार्यों की श्रेणी में प्रदर्शित हैं। इन कार्यों में भुगतान पूर्ण होने के पश्चात् ही ऑनलाइन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी हो सकेगा। अतः ऐसे प्रकरणों में भौतिक पूर्णता के आधार पर नवीन कपिलधारा कूप स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावे।

एक अन्य कारण यह भी है कि अतिरिक्त चार्जस पर SECURE (शेष पेज 6 पर)

(पेज 5 का शेष)

कपिलधारा कूप हेतु व्यक्तिगत लाभार्थी का चयन (वार्षिक मास्टर सर्कुलर 2021-22)

अधिनियम की अनुसूची-1, पैरा-5: व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों का सृजन करने वाले कार्यों को नीचे दी गई श्रेणियों के लाभार्थियों की जमीन या वास भूमि पर प्राथमिकता दी जाएगी।

- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- खानाबदोश जनजाति
- विमुक्त जनजातियां
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अन्य परिवार
- महिला मुखिया वाले परिवार
- शारीरिक रूप से दिव्यांग मुखिया वाले परिवार
- भूमि सुधारों के लाभार्थी
- प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के लाभार्थी, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारम्परिक वन वासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी और उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने के पश्चात कृषि ऋण छूट और ऋण राहत योजना, 2008 के अंतर्गत यथा परिभाषित छोटे या सीमान्त किसानों की भूमि पर बशर्ते ऐसे परिवारों के पास जॉब कार्ड हो और उसका कम से कम एक सदस्य अपनी जमीन या वास भूमि पर शुरू की गई परियोजना में कार्य करने को इच्छुक हो।
- सामाजिक आर्थिक जातिगत सर्वे, 2011 के आंकड़ों का उपयोग अभाव कारकों के आधार पर पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता देने के लिए किया जा सकता है। सर्वप्रथम लाभार्थियों की पहचान उपर्युक्त पैरा- 1, में उल्लेखित श्रेणियों के अनुसार की जाएगी। ऊपर उल्लेखित प्रत्येक श्रेणी में लाभार्थियों को सामाजिक आर्थिक जातिगत सर्वे, 2011 के आंकड़ों में उनके अभावों के अनुसार स्थान दिया जाएगा अर्थात् सबसे अधिक अभाव वाले लाभार्थियों को सूची में ऊपर रखा जाएगा। इसके बाद ग्राम सभा प्रत्येक श्रेणी में उनके अभावों के अनुसार रैंक किए गए लाभार्थियों की एक व्यापक सूची तैयार करेगी।
- व्यक्तिगत लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा भौगोलिक स्थानों और आर्थिक कार्यकलापों के अनुसार अलग-अलग होगी। जहां एक ओर योजना में लाभार्थियों की अधिक से अधिक संख्या कवर करने का प्रयास करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर लाभार्थियों को ऐसी परिसम्पत्तियां प्रदान की जानी चाहिए जिनसे उनकी आय में स्थायी वृद्धि हो सके, उदाहरण के लिए एक सिंचाई कुंआ जिसकी आमतौर पर 6 लाख रूपए लागत आती है, किसी किसान का जीवन बदल सकता है। सहायता की मात्रा निर्धारित किए जाने का निर्णय संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिया जाना होता है। राज्य सरकार द्वारा अधिकतम सीमा के संबंध में निर्णय लिए जाने तक अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी 2 लाख रूपए होगी।

Soft में Mismatched Items को जारी कराया जाना आवश्यक होगा भुगतान के लिए अनुमत नहीं किया गया एवं अतिरिक्त चार्ज के संबंध में है, जो कि औचित्यपूर्ण है। इन कार्यों SECURE Soft दल के द्वारा पृथक से प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार कराया



जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अतः इन प्रकरणों में ऑनलाइन कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाकर नवीन कपिलधारा कूप की स्वीकृति जारी किए जाने की कार्यवाही की जावे।

ऐसे कपिलधारा कूप जो कि क्षेत्रीय तकनीकी साध्यता के कारण दो साल से अधिक समय से अपूर्ण हैं, उनको निरस्त करते हुए नवीन कूप निर्माण की स्वीकृति जारी की जावे।

ऐसे विकासखंड जो Critical, Semi critical एवं Over exploited श्रेणी में आते हैं, वहां कपिलधारा कूप के साथ-साथ ग्राउंड वाटर प्लान के तहत चयनित भूजल रिचार्ज के कार्यों को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य के तहत प्राथमिकता पर क्रियान्वयन किया जावे।

उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए नवीन कपिलधारा कूप की स्वीकृति वार्षिक मास्टर सर्कुलर 2021-22 (मनरेगा, 2005) की कंडिका 7.4.11 के अनुसार की जावे। नवीन स्वीकृत कपिलधारा कूप के पूर्णता की समय-सीमा एक वर्ष निर्धारित की जाती है। अतः वर्ष में प्रारम्भ किए गए कूप उसी वर्ष में पूर्ण कराया जाना आवश्यक होगा।

कूप निर्माणों की स्वीकृति संबंधी निर्देश, मास्टर सर्कुलर 2021-22, कंडिका 7.4.11

- किसी भी परिस्थिति में बोर वेल / ट्यूबवेल पर विचार नहीं किया जावेगा।
- ऐसे क्षेत्र जहां केन्द्रीय भू जल बोर्ड के नवीन मूल्यांकन अनुसार कुओं को अतिदोहित या संकटपूर्ण श्रेणी में रखा गया है, वहां कुओं का पुनर्भरण करने के लिए सेंड फिल्टर सहित केवल 'सामूहिक कुएं' की अनुमति दी जाएगी बशर्ते वहां किसानों का समूह ऐसे सामूहिक कुओं का पानी साझा करने के लिए सहमत हों। ऐसे प्रत्येक समूह में कम से कम 3 किसान शामिल रहेंगे।
- सामूहिक कुएं से जल का उपयोग करने के लिए किसानों के बीच एक औपचारिक समझौता (स्टाम्प पेपर पर) तैयार करना होगा। समूह के बीच समझौते का ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- एक समूह में एक परिवार से केवल एक सदस्य हो सकता है एवं वह एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होगा।
- सामूहिक कुएं को राजस्व रिकार्ड में सामूहिक सिंचाई कुएं के रूप में पंजीकृत कराना होगा।
- केन्द्रीय भू जल बोर्ड द्वारा 'सुरक्षित' क्षेत्र के रूप में चिन्हित क्षेत्रों में अलग-अलग कुओं पर विचार किया जाएगा। ऐसे कुएं की गहराई और व्यास तथा दो कुओं के बीच की दूरी की पुष्टि क्षेत्र के हाईड्रोलॉजी के आधार पर तय की जाएगी। कठोर चट्टान वाले क्षेत्रों में अधिकतम व्यास 8 मीटर होना चाहिए। नरम चट्टान और जलोद् क्षेत्रों में कुओं का व्यास 6 मीटर से कम होना चाहिए। ऊपर बताए गए आकार में किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए सक्षम विभाग से सलाह लेने के पश्चात राज्य शासन संशोधन जारी कर सकेगा। यह सलाह दी जाती है कि कुओं का पुनर्भरण करने के लिए सेंड फिल्टर के साथ प्रत्येक कुएं का निर्माण किया जाए।

उन्नत तकनीक से लागत में कमी, पैदावार में बढ़ोतरी

नरेन्द्र चौधरी द्वारा

यह कहानी है, खंडवा जिले के छैगांव माखन ब्लॉक के सुल्याखेड़ी गांव में रहने वाले किसान मदन सिंह की। इनके पास कुल 4.75 एकड़ खेती की जमीन है, जिस पर वे परम्परागत तकनीक से खेती कर रहे थे। परम्परागत खेती में साल दर साल लागत बढ़ रही थी और उत्पादन में कमी आ रही थी। मदन सिंह को समझ नहीं आ रहा था, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए।

'मिशन सुनहरा कल' से जुड़कर मिली नई दिशा

सीपा-आईटीसी द्वारा 'मिशन सुनहरा कल' कार्यक्रम, मदन सिंह जैसे किसानों की मदद के लिए संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को खेती में लागत को कम करने और उत्पादन को बढ़ाने की तकनीकी जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। बैठकों, शिविरों, किसान संगोष्ठी, प्रशिक्षण, पीओपी (पैकेज ऑफ प्रेक्टिस), तकनीकी प्रदर्शन और



क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से किसानों को लागत में कमी लाने तथा उत्पादन में बढ़ोतरी करने वाली तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। किसानों के लिए सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), ड्रिप सिस्टरलर, मनरेगा योजना के तहत भूमि सुधार और उद्यान निर्माण, मिट्टी परीक्षण, सौलर पम्प, कृषि उपकरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी अनुदान वाली अनेक योजनाएं संचालित हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वे इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। मिशन सुनहरा कल कार्यक्रम के तहत न सिर्फ किसानों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, बल्कि इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी मदद की जा रही है। फसल मॉड्यूल प्रशिक्षण और क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से क्षमता निर्माण।

(शेष पेज 7 पर)

(पेज 6 का शेष)

ड्रिप सिस्टम का उपयोग कर उपजायी गई फसलों से प्राप्त आमदनी का विवरण	
प्याज	
○ कुल क्षेत्रफल	○ 1.5 एकड़ जमीन में
○ कुल लागत	○ 45000/-
○ कुल उत्पादन	○ 120 क्विंटल
○ कुल आमदनी	○ 18000/- (15/- प्रति किलो)
○ शुद्ध आय	○ 145000/-
बैंगन एवं गोभी	
○ कुल क्षेत्रफल	○ 1 एकड़
○ कुल लागत	○ 15000/-
○ कुल आमदनी	○ 50000/-
○ शुद्ध आय	○ 35000/-

इस प्रकार किसान मदन सिंह ने एक ही सीजन में 2.5 एकड़ जमीन में ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कर 1,80,000 रूपए का मुनाफा प्राप्त किया।

बदलाव

किसान मदन सिंह ने सीपा-आईटीसी द्वारा आयोजित बैठक, प्रशिक्षण, क्षेत्र भ्रमण आदि में उपस्थित रहकर खेती की नई तकनीकों और खेती से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। मदन सिंह के पास फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त

पानी नहीं था। जब उन्हें मालूम हुआ कि ड्रिप सिस्टम के उपयोग से सिंचाई में लगने वाले पानी में काफी बचत होती है। बचे हुए पानी का इस्तेमाल हम अन्य क्षेत्र या फसलों की सिंचाई के लिए कर सकते हैं, तो मदन सिंह ने सीपा संस्था के कर्मचारियों के सहयोग से सरकार द्वारा चलायी जा रही प्रधानमंत्री कृषि

सिंचाई योजना के अंतर्गत अनुदान योजना पर ड्रिप सिस्टम पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। इस योजना में लाभार्थी का चयन प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी निकालकर किया जाता है। मदन सिंह के भाग्य ने साथ दिया और लॉटरी सिस्टम से निकाले गए लाभार्थियों के नाम में उनका भी नाम निकलकर आया। उन्हें योजना के तहत 63500 रूपए की कीमत का पूर्ण ड्रिप सिस्टम मिला जिसमें 20 ड्रिप बंडल सहित अन्य सहायक सामग्री भी शामिल थी। यह ड्रिप सिस्टम 2.5 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त था। शत-प्रतिशत अनुदान होने के कारण ड्रिप सिस्टम के लिए मदन सिंह को अपने पास से कोई पैसा नहीं लगाना पड़ा।

ड्रिप सिस्टम पाकर मदन सिंह बहुत खुश होने के साथ-साथ इसके उपयोग को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने 1.5 में प्याज और 1 एकड़ जमीन में बैंगन और गोभी की फसल लगाकर ड्रिप सिस्टम से सिंचाई की। सब्जियों की खेती पहले से कर रहे थे, लेकिन परम्परागत तरीके से सिंचाई के कारण पानी की खपत ज्यादा होती थी। जिसके कारण अन्य फसलों में सिंचाई नहीं हो पाती थी या सब्जी का क्षेत्रफल कम रखना पड़ता था। लेकिन ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करने से पानी की खपत में 30 से 40% की कमी आयी। इस बचे हुए पानी का उपयोग उन्होंने अन्य फसलों जैसे गेहूँ, चना, कपास आदि फसलों की सिंचाई में किया। जिससे इन फसलों को भी पर्याप्त पानी मिला और



इनकी पैदावार में भी वृद्धि हुई।

गांव में मदन सिंह जैसे और भी कई किसान हैं जो कृषि विशेषज्ञों द्वारा बतायी गई


अलग-अलग तकनीकों का अनुसरण कर खेती की लागत में कमी लाने और फसलों की पैदावार में वृद्धि कर आर्थिक लाभ ले रहे हैं।

“मछली पालन” में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं”

मनीष कुमार द्वारा

आइये जानते हैं ऐसे किसानों के बारे में जो मछली पालन को व्यवसायिक ढंग से अपनाकर खेती के साथ-साथ अतिरिक्त आय प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। सिंगरौली जिला के मुख्यालय बैदना से दक्षिण पश्चिम में लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कंजी के किसान, मछली उत्पादक कृषक के रूप में उभर कर आ रहे। मछली उत्पादक किसानों में अधिकांश किसान केवट, मांझी समाज से ताल्लुक रखते हैं। नदी, नालों, तालाब आदि से मछली पकड़कर स्थानीय बाजारों में बेचना इस जाति का परम्परागत पेशा माना जाता है। लेकिन अब ये अपनी जमीन पर भी तालाब का निर्माण कराकर मछली पालन को व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। यह बदलाव नीति आयोग के नेतृत्व में सीपा-आईटीसी द्वारा संचालित मिशन सुनहरा कल परियोजना के कारण संभव हो पाया। परियोजना टीम ने इन किसानों की पहचान कर इन्हें अपने-अपने खेतों में तालाब बनवाने के लिए प्रेरित किया तथा मत्स्य विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाकर इन्हें मछली पालन के गुरु सिखाए।

ग्राम कंजी में मछली उत्पादन कर रहे किसानों में से एक किसान हैं, संतोष केवट पिता श्री प्रहलाद प्रसाद केवट। इनके पास लगभग 3 एकड़ जमीन है जिसमें से 2 एकड़ सिंचित है। छोटे एवं गरीब परिवार से संबंध रखने वाले किसान संतोष केवट खरीफ सीजन में धान और रबी सीजन में गेहूँ की फसल लगाते थे। परम्परागत तरीके



से खेती करने के कारण वमुश्किल साल भर खाने का अनाज उत्पन्न हो पाता था।

गत वर्ष परियोजना में पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत आयोजित मत्स्य पालन प्रशिक्षण में संतोष केवट ने भी भाग लिया। प्रशिक्षण से मिली जानकारी और फायदे की बात ने उन्हें मत्स्य पालन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। संतोष केवट ने स्वयं पैसा लगाकर 35x40 वर्ग फिट के तालाब का निर्माण कराया। तालाब बनवाने में लगभग 70 हजार रूपए का खर्च आया। हालांकि मनरेगा योजना के तहत तालाब निर्माण हेतु मिलने वाली राशि के लाभ हेतु भी आवेदन किया है, लेकिन अभी आर्थिक मदद मिली नहीं है। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को कहना है कि इस वित्तीय वर्ष में लाभ मिल जाएगा। मत्स्य पालन के काम में कोई गलती न हो इसके लिए संतोष केवट ने

मत्स्य विभाग द्वारा समय-समय पर दिए गए हर एक प्रशिक्षण में भाग लिया।

संतोष केवट ने जुलाई 2022 में अपने खेत पर बनाए गए तालाब में मछली का बीज लाकर डाला। मछली का बीज और मछलियों को खिलाने की आहार सामग्री रेनकूट, उत्तर प्रदेश से खरीद कर लाए, जिस पर 16-17 हजार रूपए का खर्च आया। तालाब में पानी की जांच और मछलियों को आहार देने में उन सभी निर्देशों का पालन किया जो उन्हें प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों द्वारा बताए गए थे। स्वयं के तालाब में पाली गई मछलियों को पहली साल बेचने पर लगभग 27 हजार रूपए की शुद्ध आमदनी हुई। जिसको लेकर संतोष केवट बहुत उत्साहित हैं। क्षेत्र में अब तक 10 किसान मछली पालन के काम को अपना चुके हैं। स्थानीय साप्ताहिक हाट, बाजारों में मछली की बहुत मांग है और

150 से 200 रूपए प्रति किलो में आसानी से बिक जाती है।

खेती में भी उन्नत तकनीक का प्रयोग

परम्परागत तरीके से धान एवं गेहूँ की खेती करने से फसलों की अच्छी पैदावार नहीं मिलती थी। लेकिन मिशन सुनहरा कल परियोजना से जुड़कर किसानों ने खेती से

जुड़े विभिन्न विषयों जैसे - बीज अंकुरण परीक्षण, बीज दर, कतार में बुवाई, कीट एवं रोग नियंत्रण की उन्नत तकनीकों की जानकारी हासिल की। इन जानकारीयों को अपनाने से धान का उत्पादन जो पहले प्रति एकड़ 20 से 22 क्विंटल था वह 25 से 27 क्विंटल और गेहूँ का उत्पादन जो पहले प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल था बढ़कर 13 से 14 क्विंटल हो गया है। उन्नत तकनीकों के इस्तेमाल से जहां उत्पादन बढ़ा है, वहीं लागत में भी कमी आयी है।

किसान संतोष केवट को उद्यानिकी विभाग से वर्मी बेड और सब्जी विस्तार योजना के तहत टमाटर का बीज उपलब्ध कराया गया। गर्मी के मौसम में टमाटर की पौध तैयार कर खेत के छोटे हिस्से में रोपाई करी। टमाटर के पौधों की देखरेख में वैज्ञानिक विधियों का अनुसरण किया गया। जिससे लगभग 10 हजार का मुनाफा हुआ। खेती में इन किसानों द्वारा अपनायी गई विविधता, एक तरफ इन किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बना रही है, वहीं दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से निपटने में भी सक्षम बना रही हैं।



महिलाओं की पहल

नेक काम हेतु शिक्षित नहीं इच्छा शक्ति होना जरूरी

दीपक चौधरी द्वारा



यदि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किसी कार्य को करने के लिए पढ़ा-लिखा होना या साधन-सुविधाओं का होना, जरूरी नहीं है। मंडला जिले के बीजांडांडी विकासखंड में आने वाले वन ग्राम खेरूवाला में रहने वाली बेला दीदी ने अपनी मेहनत और लगन से इस बात को साबित कर दिखाया है। यह ग्राम वन क्षेत्र में आने के कारण यहां लोग मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, सड़क, रोजगार आदि से वंचित हैं। लोगों के पास जमीन के पट्टे भी नहीं हैं।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्व सहायता समूहों में शामिल होने से पहले बेला दीदी खेती और दैनिक



मजदूरी कर अपना घर खर्च चलाती थीं। बेला दीदी पढ़ी-लिखी नहीं हैं लेकिन बेझिझक बात करने की उनकी शैली, किसी के भी सामने प्रभावी रूप से अपनी बात रखने का अंदाज और अदभुत नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें स्व सहायता समूह, ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संगठन (सीएलएफ) का अध्यक्ष चुना गया है। एक ऐसे संकुल संगठन का नेतृत्व करना जिसमें कई पढ़ी-लिखी महिलाएं हैं उनकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। बेला दीदी की इन्हीं खूबियों के कारण उन्हें मिशन अंत्योदय परियोजना के तहत बदलाव दीदी के रूप में भी चुना गया है। परियोजना के तहत मिले

प्रशिक्षण के माध्यम से उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम विकास की बारीकियों पर भी अपनी समझ विकसित की। कुशल नेतृत्व क्षमता के चलते उन्होंने पंचायत के माध्यम से गांव में कई विकास कार्यों को पूरा कराने में सफलता हासिल की। दरअसल वन विभाग के हस्तक्षेप के कारण गांव में विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे। कई बार तो वन विभाग द्वारा चलते कामों को भी बंद करा दिया गया। इस स्थिति में बेला दीदी ने पंचायत के सहयोग से वन विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित कर नलजल योजना और सीसी रोड निर्माण के काम पूरे कराए।

बेला दीदी की अगुवाई में महिलाओं ने

ग्राम सभाओं में उपस्थित होना और अपनी बात रखना सीखा। गांव में होने वाली ग्राम सभाओं में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति बेला दीदी के प्रयासों की गवाही देती है। ग्राम विकास योजना तैयार करना हो या गरीबी उन्मूलन योजना बनाने का काम हो सभी में बेला दीदी सक्रिय रूप से भागीदारी करती हैं। बेला दीदी के प्रयास केवल योजना निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि योजना में शामिल गतिविधियां समय पर क्रियान्वित हों, और पूरी हों इसके लिए लगातार प्रयासरत रहती हैं।

कोविड-19 महामारी की रोकथाम में भी बेला दीदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने संकुल संगठन में आने सभी 25 गांवों में महामारी बचाव के लिए किए गए प्रचार-प्रसार में सक्रिय योगदान दिया। जब टीकाकरण की बारी आयी तो लोगों के मन से भय और गलतफहमी दूर करने के लिये सबसे पहले स्वयं ने टीका लगवाया, इसके बाद गांव के लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया। लॉकडाउन के समय जब कई परिवारों के सामने राशन की दिक्कत थी तब गांव के 5 जरूरतमंद परिवारों को अस्थायी राशन पर्ची जारी करवाकर उन्हें राशन दिलाया। संकुल स्तरीय संगठन की अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने निष्क्रिय ग्राम संगठनों के पदाधिकारियों के साथ व्यक्तिगत चर्चा कर उन्हें सक्रिय बनाया। बेला दीदी ग्राम संगठन के पदाधिकारियों के सतत संपर्क में रहती हैं और उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी स्व सहायता समूहों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर 57 वर्षीय बेला दीदी ने बकरी पालन व्यवसाय को भी अपनाया है, जिससे उन्हें अपने घर खर्च में मदद मिलती है। वह अन्य महिलाओं को भी आजीविका गतिविधि अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।


पानी के लिए संघर्ष की जीत

सुदर्शन चन्देल द्वारा



यह कहानी विमला दीदी की है जो डिंडोरी जिले के अमरपुर विकासखंड में आने वाले ग्राम लुटगांव की रहने वाली हैं। ग्राम लुटगांव, ब्लॉक मुख्यालय अमरपुर से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह एक आदिवासी बहुल ग्राम है। यहां के लोग आजीविका के लिए खेती और मजदूरी पर आश्रित हैं, लेकिन सिंचाई संसाधनों के अभाव के कारण यहां ज्यादातर किसान वर्षा आधारित खेती करते हैं।

आदिवासी समुदाय से आने वाली विमला दीदी, हमेशा अपने और अपने परिवार के अच्छे जीवन का सपना देखा करती थी। पहले इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वर्ष 2005



में विमला दीदी ने समूह से जुड़कर, एक-एक पैसा जोड़कर समूह के माध्यम से एक सिलाई मशीन खरीदी। सिलाई मशीन की मदद से विमला दीदी ने गांव के लोगों के कपड़े सिलना शुरू किया, जिससे कुछ आमदनी होने लगी और परिवार की छोटी-छोटी जरूरतें पूरी होने लगी। वह केवल अपने परिवार की आर्थिक सम्पन्नता के बारे में नहीं सोचतीं, बल्कि गांव के हर परिवार की सम्पन्नता के लिए भी उतनी ही समर्पित हैं।

समूह में शामिल होने से पहले विमला दीदी को, पंचायती राज व्यवस्था

और योजनाओं की जानकारी नहीं थी। वर्ष 2018 में मिशन अंत्योदय परियोजना के तहत पंचायत के कार्यों में उनकी रुचि को देखते हुए, उन्हें बदलाव दीदी के रूप में चुना गया। संस्था द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में नियमित भागीदारी से उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी मिली और उनके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ। अब वे सरकारी विभागों के साथ तालमेल बनाकर गांव की समस्याओं के समाधान करवाने में लगी हैं।

पानी हमारे जीवन का मुख्य आधार है, ग्राम लुटगांव के लोग पेयजल के

संकट का सामना कर रहे थे। गर्मी के दिनों में लोगों को को 1-2 कि.मी. दूर से पानी लाना पड़ रहा था। इस समस्या के समाधान हेतु विमला दीदी ने विशेष महिला ग्राम सभा का आयोजन करवाया, जिसमें पानी की समस्या के समाधान हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। विमला दीदी के नेतृत्व में दीदियों का समूह इस प्रस्ताव को लेकर जनपद कार्यालय अमरपुर गया लेकिन वहां से कोई सहयोग या आश्वासन नहीं मिला। दीदियों ने हार नहीं मानीं और इस प्रस्ताव को लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंच गईं। वे झिझक होकर दीदियों ने कलेक्टर महोदय को अपनी समस्या से अवगत कराया। कलेक्टर ने 15 दिन के भीतर समस्या का समाधान हो जाने का आश्वासन दिया। लेकिन इस अवधि में भी कोई काम नहीं हुआ। विमला दीदी के नेतृत्व में ग्राम संगठन की दीदियां पुनः कलेक्टर महोदय से निवेदन करने पहुंचीं।

तीन बार लगातार कलेक्टर के यहां जाने पर आखिरकार उनके आवेदन पर सुनवाई की गई। पीएचई विभाग ने गांव में नया बोर तैयार कर नलजल योजना के माध्यम से घर-घर पानी पहुंचाया। अब गांव की महिलाओं को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, इससे उनका समय भी बचता है, जिसे वे घर के अन्य कामों में लगाती हैं।

विमला दीदी के नेतृत्व में ग्राम संगठन की दीदियां विभिन्न सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों की सूची तैयार कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखती हैं। यह सब विमला दीदी के कुशल नेतृत्व और ग्राम संगठन की दीदियों के सहयोग और समर्पण से संभव हो पा रहा है। अब गांव के लोग विमला दीदी को उनके नाम से नहीं 'पंचायत की बदलाव दीदी' कहकर बुलाते हैं।

प्रिय पाठक गण,

पंचम विकास पत्रिका में प्रकाशित लेखों के संबंध में आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। आप नीचे दिए गए पते पर पत्राचार कर सकते हैं अथवा नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी हमें अवगत करा सकते हैं।

समर्थन - सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट

36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल-462016, मोबाइल नंबर - 9406546728

प्रकाशन समर्थन, भोपाल :

सम्पादक मंडल: पंकज पांडे, विनोद चौधरी, जीत परमार, ज्ञानेन्द्र तिवारी, शोभा लोधी, नारायण परमार, पंकज गुप्ता, मनोहर गौर
पता : 36 ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, भोपाल। परस्पर सम्पर्क हेतु प्रकाशित, मो.9893563713